

# राज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

225- राजचन्द्र (पु) जलिये वास्ते 11/3 गोरदी नो 25

2024/08  
 हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर  
 श्री गोरदी-चन्द्र संघ श्री  
 नम्बर य तारीख  
 अहकाम जो इस  
 हुक्म की तामील  
 जारी हुए

20/7/25

पत्रावली पेश की गई। आरिओ अपील उपरान्त पत्रावली  
 प्रेषित हुए वास्ते तलमी कोर्ट रजिस्ट्रार से। से 9  
 रजि. नं. (पत्रावली मय के) दिनांक 12/8/25 को पेश हो

राजस्व अपील प्राधिकारी  
 अजमेर

12/8/25

पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलांत एवं रेस्पों. उपस्थित।  
 राजस्व बार संघ / जिला बार संघ द्वारा न्यायिक कार्य  
 स्थगित रखा गया। मिसल पूर्वानुसार वास्ते  
 दिनांक 15/9/25 को पेश हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी  
 अजमेर

15.9.25

पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलांत एवं रेस्पों. उपस्थित।  
 राजस्व बार संघ / जिला बार संघ द्वारा न्यायिक कार्य  
 स्थगित रखा गया। मिसल पूर्वानुसार वास्ते  
 दिनांक 10/11/25 को पेश हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी  
 अजमेर

10.11.25

पत्रावली पेश की गई। वकील अपीलांत एवं वकील  
 अपीलांत रेस्पोंडिन्ट के नोडिओ आवश्यक रूप से  
 पेश करें। पत्रावली वास्ते तलमी नोडिओ रेस्पों. से 9  
 रजि. नं. दिनांक 15/12/25 को पेश हो

राजस्व अपील प्राधिकारी  
 अजमेर

15/12/25

पत्रावली पेश की गई। वकील अपीलांत एवं  
 अपीलांत अनुपस्थित। वकील अपीलांत एवं अपीलांत  
 को फई कार कठ-कठ कर सावाने जिलार अई।  
 छिन्दु उपस्थित नहीं हुए। अनः मरील अपीलांत  
 अदम लाजली-अदम पेशी के खारीन की जाती है।  
 पत्रावली ई मलरुमार होकर नम्बर से कर है

राजस्व अपील प्राधिकारी  
 अजमेर



१११

१८.५.२५

गोपालचंद्र टोकरियालय श्रीमान राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय अजमेर

अपील टी.ए.संख्या...१११/२०२४ जिला अजमेर

उ.ने अपीलपत्र

सी १

मि. मल्लार

२१५

१८/५/२५

१. फूलचंद पुत्र केलाराम (मृतक) जरिये वारिसान:-

१/१ मनभर पत्नि फूलचंद

१/२ सुनील पुत्र फूलचंद

१/३ सुनीता पुत्री फूलचंद

१/४ अनिल पुत्र फूलचंद

१/५ अनिता पुत्री फूलचंद

२. हरिचन्द पुत्र केलाराम उर्फ हरचन्द मृतक जरिये वारिसान :-

२/१ कंचन पत्नि हरचन्द

२/२ सुरेन्द्र पुत्र हरचन्द

२/३ नरेन्द्र पुत्र हरचन्द

३ १/४ प्यारेलाल पुत्र केलाराम

समस्त जाति रेगर निवासी लोहरवाड़ा तहसील नसीराबाद जिला

अजमेर।

— अपीलांट्स

बनाम्

१८.०५.२०२५

राजस्व अपील प्राधिकारी  
अजमेर

१. नौरती पत्नि ओमप्रकाश

२. सीताराम पुत्र ओमप्रकाश

३. कैलाश पुत्र ओमप्रकाश

समस्त जाति रेगर निवासी लोहरवाड़ा तहसील नसीराबाद जिला  
अजमेर।

४. नौरती पुत्री केलाराम पत्नि बाबूलाल रेगर निवासी ग्राम सनोद तहसील  
नसीराबाद जिला अजमेर।

५. कमला पुत्री केलाराम पत्नि, सहदेव रेगर ग्राम भूडोल जिला अजमेर।

६. चांदमल पुत्र मगना

७. चान्दा पत्नि पांचू

8. सावित्री पुत्री पांचू समस्त जाति रेगर निवासी लोहरवाड़ा तहसील नसीराबाद जिला अजमेर।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय नसीराबाद जिला अजमेर।

— रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध निर्णय विद्वान उपखण्ड अधिकारी महोदय, नसीराबाद दिनांक 01.04.2024 जो प्रकरण संख्या 40/2016 बउनवानी गलकू बनाम नौरती व अन्य में पारित किया गया।

मानयवर,

अपीलांट्स की ओर से निम्न निवेदन है:-

- (अ) यह कि वादीगण/अपीलांट्स विद्वान उपखण्ड अधिकारी महोदय, नसीराबाद के समक्ष एक राजस्व वाद 88, 188, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के साथ प्रस्तुत किया जिसके साथ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र भी इन कथनों के साथ प्रस्तुत किया है:-

कैलाराम पुत्र स्व. श्री बिहारी रेगर (फौत)

